बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 12.01.2026

संचिका संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025 24/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों एवं शर्त्तों तथा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–06.01.2026 की बैठक की कार्यवाही में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा एवं किशनगंज में निम्नांकित सेवानिवृत्त संविदा शिक्षकों का संविदा समाप्ति की तिथि से 66 वर्ष पूर्ण होने तक की अवधि के लिए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–06 के अनुसार संविदा विस्तार किया जाता है :–

क्र० सं०	संविदा नियोजित शिक्षक का नाम / पदस्थापन स्थान	पदनाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	विषय	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	श्री धनंजय कुमार सिंह/ बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2	20.01.1961 31.01.2021	जीव विज्ञान	संविदा समाप्ति की तिथि से 66 वर्ष पूर्ण होने तक संविदा की अवधि विस्तार की जाती है।
2	श्री सुरेश मंडल/ बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2	05.12.1960 31.12.2020	हिन्दी	संविदा समाप्ति की तिथि से 66 वर्ष पूर्ण होने तक संविदा की अवधि विस्तार की जाती है।

2. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(2)(क) (v) तथा 3(2)(ख) (v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–3978, दिनांक–23.03.2018 की कंडिका–5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

3. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका–(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्त्त का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से अच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा। निर्धारित मानदेय पूरे संविदाकाल में स्थिर रहेगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–1012 दिनांक–27.01.2022 के आलोक में संविदा नियोजन के उपरांत भी योगदान की तिथि तक सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहत् दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षो में कोई दण्ड (लघु/वृहत) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित होने का मामला यदि संज्ञान में आता हो तो वैसी परिस्थिति में नियोजित कर्मी के द्वारा दिये गये योगदान को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।

5. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियोजन के पश्चात किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

6. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित संविदा शिक्षकों के द्वारा उक्त पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन प्रभावी होगा।

कृ०पृ०उ०

7. संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के मानदेय का भुगतान मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–04 अल्पसंख्यको का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0001–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड–30–2225042770001, 28–02 संविदा सेवाएँ मद में उपबंधित बजट से विकलनीय होगा।

8. संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की मानदेय एवं अन्य राशि की निकासी संबंधित जिला के सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा की जायेगी।

9. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(डा० अमीर आफाक अहमद फैजी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025................../ पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025................../ पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति, पटना/संबंधित सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025................../ पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025................../ पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपिः– प्रधानाध्यापक, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025................../ पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपिः– श्री धनंजय कुमार सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 (संविदा)/श्री सुरेश मंडल, उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 (संविदा), बिहार राज्य अल्पसंख्क आवासीय विद्यालय किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– संख्या–अ०सं०क०–02–ग–आ०वि०–14/2025....177..../ पटना, दिनांक 12.01.2026

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 12/01